सुरेश प्रसाद विरुद्ध मिथिलाप्रसाद आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 623—तीन / 07 जिला — सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही या आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 203 / निग0 / 06—07 मे पारित आदेश दिनांक 18—1—07 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए दावा निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से तहसीलदार ने दिनांक 6—11—01 को आपत्ति को निरस्त किया । इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर, रीवा के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय मे निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनवाई दिनांक को 7 दिवस का समय लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु दिया गया था किंतु केवल आवेदक द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदक की ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 4— आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण कच्ची बेची टीप के आधार पर नामांतरण का है । कच्ची बेची टीप वर्ष 1959 की बताई जाती है और लगभग 45 वर्ष के उपरांत नामांतरण की मांग की गई है अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि 1959 की कच्ची बेची टीप के आधार पर इतने लंबे अंतराल बाद नामांतरण की मांग करना तर्क संगत नहीं है । अपर आयुक्त	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

ने अपने आदेश में यह पाया है कि बिना किसी विधिवत साक्ष्य के कोई निष्कर्ष निकालना संभव नही है इसलिए प्रकरण को प्रचलनशील मानने का जो आदेश तहसील न्यायालय का है व उचित है । प्रकरण में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होना का तथ्य भी आया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है अतः निगरानी निरस्त की जाती है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यवहार न्यायालय में प्रकरण की स्थिति के संबंध में उभयपक्षों से जानकारी लें और यदि वहां से कोई स्थगन हो तो तदनुसार कार्यवाही की जाये अन्यथा संहिता के प्रावधानों के प्रकाश में उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण किया जावे ।

3-- उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस दें ।

सदस्य

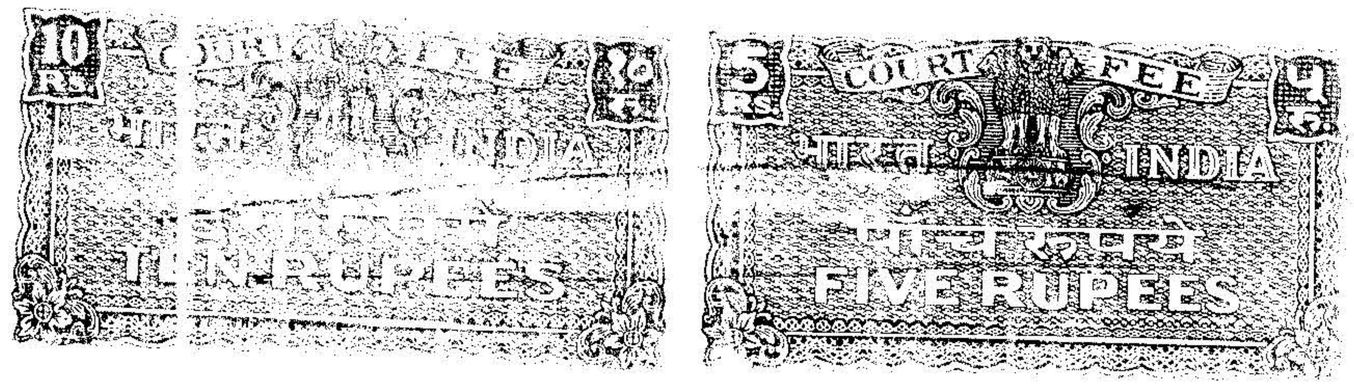

COURT FEE
INDIA
TEN RUPEES

COURT FEE
भारत INDIA
FIVE RUPEES